उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या-11/2024/459/94-स्टा0नि0-2-2024-700(23)/2024
लखनऊ, दिनांक 19 जून, 2024

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी नेयवेली उत्तर प्रदेश पॉवर लिमिटेड घाटमपुर, कानपुर नगर स्थित परियोजना के सम्बन्ध में ऋण राशि रुपये 12068 करोड़ के बन्धक विलेख पर पूर्वोक्त अधिनियम 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-40 के खण्ड (ख) के अधीन प्रभार्य **स्टाम्प शुल्क से छूट** प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2024/459(1)/94-स्टा0नि0-2-2024, तद्दिनांक।

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस **दिनांक 19 जून, 2024** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या-11/2024/459(2)/94-स्टा0नि0-2-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार महालेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

The Governor is pleased to order the publication the following English translation of Government Notification no. 11/2024/459/94-S.R.-2-2024-700(23)/2024, Dated 19 June, 2024

Notification
Order

No.11/2024/459/94-S.R.-2-2024-700 (23)/2024
Lucknow, Dated : 19 June, 2024

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section-21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897). Hon'ble Governor is pleased to remit, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty chargeable under clause (b) of Article-40 of Schedule 1-B of the said Act of 1899, on the mortgage deed of loan amount Rs. 12068 crore in respect of the project of Neyveli Uttar Pradesh Power Limited situated at Ghatampur, Kanpur Nagar.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।